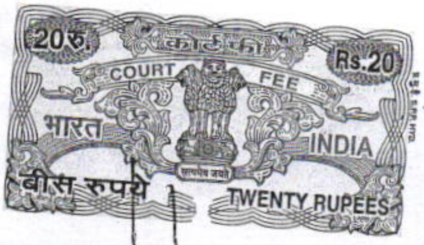

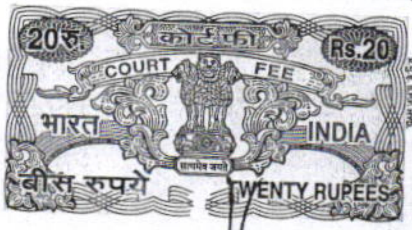

(96)

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक : /2014

प्रस्तुति दिनांक : 01–04–2014

समक्ष : माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

R-1356-PBR/14

श्री ...... प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 03/04/2014 को प्रस्तुत

रमेश जैन पिता रतनलाल जैन,

निवासी–16 डी, बक्तावरराम नगर, इन्दौर ––प्रार्थी/अपीलांट

विरूद्ध

1. एहसान–अनवर–रजाक अली मोहम्मद पिता कालूजी
2. श्रीमती भूरीबाई पति कालू

सभी निवासी–ग्राम मुण्डला नायता तहसील व

जिला इन्दौर ––रेस्पान्डेन्ट/प्रत्यर्थी

:–: पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू राजस्व संहिता :–:

माननीय महोदय,

राजस्व अपील क्रमांक 48/2011–12 में विद्वान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कस्बा इन्दौर व्दारा दिनांक 23–01–2014 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रार्थी यह पुनरीक्षण याचिका निम्न आधारों पर सादर प्रस्तुत करता हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

(अ) यह कि, अपीलांट ने दिनांक 10–06–2005 को प्रत्यर्थी क्रमांक 1 एहसान से उसकी मालकी एवं आधिपत्य की ग्राम मुण्डला नायता तहसील व जिला इन्दौर स्थित कृषि भूमि सर्वे नम्बर 127,

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक **निगरानी 1356-पीबीआर/14 जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	**आवेदक अधिवक्ता अनुपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री वी0आर0पाटिल उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो ।** **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	